न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 61/2011 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2011/00069**

1. आसाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट, निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरस्वती पत्नी श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर, तहसील बीकानेर।
2. संजू पुत्री श्री बीरबलराम नाबालिग जरिये वली संरक्षक माता सरस्वतीदेवी निवासी स्वरूपदेसर, तहसील बीकानेर।
3. सुन्दरदेवी पत्नी ईश्वरराम जाति जाट निवासी हल्दीराम प्याउ के पास अशोक नगर बीकानेर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत साधासर
5. स्टेट ऑफ तहसीलदार नोखा।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री दिनेश गहलोत — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एवं विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 3

निर्णय

दिनांक 21.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपील में वादगत भूमि ग्राम उतमामदेसर तहसील नोखा के खसरा नंबर 44 रकबा 11.12 हैक्टयर, खसरा नंबर 45 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 54 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नंबर 75 रकबा 0.92 हैक्टयर, खसरा नंबर 92 रकबा 13.10 हैक्टयर, खसरा नंबर 137 रकबा 3.22 हैक्टयर की कुल तादादी 28.58 हैक्टयर भूमि अपीलांट आशाराम एवं उसके भाई केशरराम(मृत्तक) के नाम संयुक्त रूप से रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट के भाई केशरराम की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार नोखा ने केशरराम की पत्नी एवं पुत्री क्रमशः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम इंतकाल संख्या 55 दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने उक्त वादगत भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सुन्दरदेवी को विक्रय कर दी। ग्राम पंचायत साधासर ने उक्त विक्रयशुदा भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम जरिये इंतकाल संख्या 160 दर्ज कर दिया। अपीलांट्स ने इंतकाल संख्या 160 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रस्तुत की। उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपने आदेश दिनांक 10.06.2011 द्वारा अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। उपखण्ड

अधिकारी, नोखा के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं उसके भाई की सयुंक्त खातेदारी भूमि थी। अपीलांट का विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ हुआ था परन्तु उसका चाल चलन सही नहीं होने के कारण उसके साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं थें, उसी के कारण केशरराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को छोड़ दिया है। केशरराम अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से तंग आकर केशराराम ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु के एक माह बाद ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बीरबलराम जाट से दुसरा विवाह कर लिया था। केशरराम की लाऔलाद फौत को गई थी। केशरराम के उत्तराधिकार में केवलमात्र उसका एक भाई अपीलांट ही हुआ। अपीलांट के नाम से वादगत भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार नोखा द्वारा जायज वारिसान की जांच किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पक्ष इंतकाल संख्या 55 दर्ज कर दिया। कानूनन पत्नी द्वारा दुसरा विवाह कर लेने के पश्चात उसका पूर्व पति की संपत्ति पर कोई हक व हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विरासतन में किसी प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उसे आगे विक्रय करने का अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विचार किए बिना ही निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय दिनांक 10.06.2011 को खारिज किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि जेठाराम के नाम दर्ज थी। जेंठाराम की पहली पत्नी मघी के कोई संतान नहीं होने के कारण जेठाराम ने दूसरी शादी मोहनी के साथ की। जिससे आशाराम एवं केशरराम दो पुत्र हुए। जेठाराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन इंतकाल अपीलांट तथा उसके भाई केशरराम व माता मोहनी के नाम दर्ज हुई। मघी के नाम दर्ज भूमि अपीलांट एवं केशरराम के नाम दर्ज हुई। केशरराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके नाम दर्ज भूमि उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम इंतकाल संख्या 55 द्वारा दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने उक्त वादगत भूमि को रेस्पोडेन्ट 3 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम इंतकाल संख्या 160 दर्ज किया गया। इंतकाल संख्या 160 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा खारिज कर दी गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एक सदभावी खरीददार है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार नोखा ने भी विभाजन के दावे में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष डिक्री जारी कर दी थी। अपीलांट उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी नोखा की डिक्री को यथावत रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में ही निर्णय दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय नियमानुसार ही किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को उक्त वादगत भूमि का कब्जा दे दिया गया था और आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी नोखा ने इंतकाल संख्या 160 को सही माना है। जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादगत भूमि अपीलांट एवं उसके भाई केशरराम(मृत्तक) के नाम संयुक्त रूप से रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट के भाई केशरराम की मृत्यु के पश्चात केशरराम की पत्नी एवं पुत्री क्रमशः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने वादगत भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को रजिस्टर्ड बैयनामें द्वारा बैय कर दी। उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर ही इंतकाल संख्या 160 दर्ज किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अवगत कराया कि वादगत भूमि के संबंध में विभाजन के दावें की डिक्री अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा जारी कर दी गई हैं और उक्त डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत की गई अपील में निर्णय किया जा चुका हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2011 मियाद के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2011 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर